न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया

न्यायाधीश– महेश चन्द्र वर्मा (एच0जे0एस0)
(J.O. Code-UP-6359)

UPBL010037022022

सत्र–वाद संख्या–751/2022

उ0 प्र0 राज्य **बनाम** ब्रम्हा नन्द पाण्डेय

मुकदमा अपराध संख्या–142/2020
धारा–135, विद्युत अधिनियम
थाना–एंटी पावर थेफ्ट,बलिया
जनपद–बलिया

निर्णय

दिनॉक–14.12.2024 (राष्ट्रीय लोक अदालत)

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त ब्रम्हा नन्द पाण्डेय मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, श्री रजनीश कुमार राय उपस्थित।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में समस्त बकाया विद्युत बिल रू0–27733.00 तथा शमन शुल्क रू0–30000.00 जमा कर दिये जाने से संबंधित अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, बलिया द्वारा जारी पत्र संख्या–1966 दिनॉक–02.08.2024 प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 श्रीभगवान, कार्यकारी सहायक विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम ने बयान दिया है कि अभियुक्त के द्वारा समस्त राजस्व व शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय के **पत्रांक–1966** दिनॉक–02.08.2024 से की गयी है। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया है।

अतः प्रस्तुत मामला अंतर्गत धारा–152 विद्युत अधिनियम, 2003 प्रशमन किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त ब्रम्हा नन्द पाण्डेय को धारा–135, विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, के तहत अपराध के प्रशमन के आधार पर, धारा–152 विद्युत अधिनियम में उपबन्धित प्राविधानों के दृष्टिगत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त का बन्ध–पत्र एवं प्रतिभूगण के प्रतिभू–पत्र निरस्त किया जाता है।

उनको, उनके उक्त बन्धपत्र व प्रतिभू पत्रों के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक–14.12.2024

(महेश चन्द्र वर्मा)
विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया।

Steno-Ramsharan